तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/3/22	पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया । उभय पक्ष उपस्थित बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। मौजा रोही फूलदेसर सिंघास के खेत खसरा नम्बर पुराना 94 तादादी 40.18 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 121 में 10.34 हैक्टेयर खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण के नाम से बहिब दर्ज हैं। जो प्रार्थीगण के दादा की पैतृक भूमि रही है । ग्राम रोझां में मामराज पुत्र जीवणराम के नाम से खातेदारी भूमि थी जो वर्तमान चक 14 सीएचडी के मु.नं. 208/62 के कि0न0 16,23ता25 में 4 बीघा कमाण्ड, मु.नं. 208/63 के कि0नं0 4,5,6,7,14,15 में 6 बीघा कमाण्ड खाला सहित, मु0नं0 208/64 के कि0नं0 5,6,15 में 3 बीघा कमाण्ड, मु0नं0 208/7 के कि0नं. 1/2, 2,9, 10/2, 11/1, 12 में 5 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड, मु0नं0 228/8 के कि0न0 1/2,2, 8,9, 10/2,11/1,12,13 में कुल 7.14 बीघा कमाण्ड खाला सहित इस प्रकार कुल तादादी 26.08 बीघा कमाण्ड खाला सहित खातेदारी भूमि पैतृक रही हैं जो अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिब दर्ज हैं। इसी प्रकार मौजा रोही डेलाना छोटा में मामराज पुत्र जीवण के नाम से खातेदारी भूमि रही है जो वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 98 में 2.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 448/97 में 0.3900 हैक्टेयर कुल तादादी 2.7700 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम से बहिब दर्ज हैं। खसरा नम्बर 365 में 1.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 454/366 में 6.7900 हैक्टेयर कुल तादादी 8.0600 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो पैतृक भूमि रही हैं। इसी प्रकार चक 1 डीएलडी के मु.न.191/9 के कि0न0 6, 7/2, 15/2, 16/2, कुल 2.14 बीघा कमाण्ड, मु0न0 191/17 के कि0न0 1,2,9ता13, 21/2, 22ता25 में 17 बीघा कमाण्ड, मु0न0 191/18 के कि0न0 1/2, 3ता6, 15,16, कुल 7 बीघा 8 बिस्वा, मु0न0 191/25 के कि0न0 12,13, 18ता24 में कुल 9 बीघा, मु.न0 191/26 के कि0न0 [illegible] 6ता15, 19,20 में 16 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 51.17 बीघा/अनकमाण्ड खाला सहित खातेदारी भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का 2/6 हिस्सा निहित हैं। वादगत भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का 2/6	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:13:21 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हिस्सा जन्म से हक व अधिकार निहित हैं। जिसकी घोषणा करवाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के प्रार्थीगण हकदार हैं। वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि दादा व पिता के जीवनकाल से अलग–अलग काश्त के आधार पर निजी संपति है उक्त भूमि जन्म से अर्जित कथन मिथ्या है एवं अस्वीकार हैं। उभय पक्ष द्वारा दलीलों के समर्थन में 2009(1) RRT 162 अब्दुल वासी बनाम अब्दुल कादिर आदि, 2011(2)RRT 794 पेश किये गए है जो शामिल पत्रावली हैं।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति मे से खातेदारी हेतु उद्घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। यदि पिता द्वारा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने के कारण सुविधा का संतुलन कभी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता हैं। अतः वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि एवं विशिष्ट भू–भाग का बेचान व अन्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:13:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 17/6/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर